नई कृषि नीति के फायदे और नुकसान

खेमानंद सुखदेव फुलझेले

अर्थशात्र विभाग रामकृष्ण महाविद्यालय दारापुर

कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम 1955 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपना माल बेचने के लिए बाजार आने पर उनके शोषण को रोकना था। इस अधिनियम का फायदा दलालों ने उठाया। आय बाजार समिति का दुरुपयोग करके। पसंदीदा दलालों ने अपने लिए अच्छा वित्तीय लाभ कमाया है।

नई कृषि नीति

1. कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2000

2.कृषक मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा अनुबंध अधिनियम 2020

3.आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020

यह अधिनियम कृषि उपज की बिक्री का प्रावधान करता है। क्या हैं इसके प्रमुख प्रावधान -

- कृषि उपज बाजार समिति द्वारा अनुमोदित बाजारों के बाहर माल की बिक्री और खरीद
- कृषि वस्तुओं के राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय आवागमन में बाधाओं को हटाना
- विपणन और परिवहन लागत को कम करके किसानों के लिए बेहतर कीमतें लाना
- ई-ट्रेडिंग के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना

कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2000

यह अधिनियम कृषि उपज बाजार समिति द्वारा अनुमोदित बाजार के बाहर माल की खरीद और बिक्री की अनुमति देगा। कृषि वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य संचार में बाधाओं को दूर करना। सरकार द्वारा कहा गया है कि सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि किसान के माल को जल्द से जल्द ग्राहक और दाम मिल सके।

किसान मूल्य □ श्वासन और कृषि सेवा अनुबंध अधिनियम, 2020

यह कानून किसानों द्वारा अनुबंध खेती के बारे में है। किसान जो फसल उगाते हैं उसके लिए अग्रिम अनुबंध किया जाता है। भारत में इसी प्रकार की खेती की जाती है। इस अनुबंध से उन किसानों को फायदा होगा जिनके पास कम जमीन है। इस कानून में बाजार में अस्थिरता का बोझ किसान पर नहीं बल्कि ठेकेदार पर पड़ेगा और बिचौलियों की चेन खत्म हो जाएगी और किसानों को पूरा मुनाफा मिल सकेगा।

□ **वश्यक वस्तु अधिनियम 2020**

इस कानून के तहत, सरकार ने आवश्यक वस्तुओं जैसे प्याज, आलू, तिलहन, दालें, खाद्यान्न और कृषि उत्पादों को सूची से बाहर करने का फैसला किया। इसमें कमी आएगी और विदेशी निवेश बढ़ेगा। कीमतें स्थिर रहने से उपभोक्ताओं और किसानों दोनों को फायदा होगा। .

नई कृषि नीति के लाभ

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नए कृषि विधेयक को मतदाताओं द्वारा पारित कर दिया और सरकार ने इस नीति को लागू करने पर जोर दिया, इसलिए विधेयक पारित हो गया और अब राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है। हालांकि इसका उद्देश्य कहां बेचने की पूरी आजादी देना है कीमत उपलब्ध है, किसान को शिकार बनाने वाले बिचौलिए को रोकना और व्यापारियों को फायदा पहुंचाना और किसान की आय में वृद्धि करना, इसमें बहुत अधिक जटिलता शामिल है।1956 1966 अनुबंध के दस वर्षों में भारत में आयात राशन प्रणाली लागू की गई 1966 में भारत में हरित क्रांति इंदिरा गांधी ने किसानों को कई सुविधाएं दीं जिनमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय किसान के बच्चे के लिए न्यूनतम मूल्य प्राप्त करना था ताकि जब भोजन का उत्पादन हो सके अनाज अधिक होने से उनकी कीमतें गिर जाती हैं और किसानों को नुकसान होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए. इसके लिए न्यूनतम मूल्य नीति लागू की गई, लेकिन जब बाजारों में कीमत गारंटी मूल्य से कम हो जाती है, तो सरकार का दायित्व था कि वह कम कीमत पर बेची गई वस्तु का उतना ही हिस्सा खरीदे। सस्ती दरों पर खाद्यान्न की आपूर्ति संभव थी। यम देश के माध्यम से, देश में खाद्यान्न की कमी होती है और स्थिति गंभीर होती है और कीमत बढ़ जाती है, सरकार के पास खाद्यान्न का स्टॉक रखना आवश्यक है और यह काम भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किया जाता है। सब्सिडी प्रदान करता है और बिल का पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में किसानों ने विरोध किया है. और उस सड़क पर विरोध करने का एकमात्र कारण यह है कि सरकार देश में

अपनी उपज कहां बेचनी है के नाम पर किसानों से कृषि उपज खरीदने की नीति को रद्द करने की कगार पर है, जो 1965 से चली आ रही है। सरकार ने पंजाब और हरियाणा राज्यों से चावल और गेहूं के लिए रबी फसल की गारंटी मूल्य की घोषणा की है, जिसमें सरकार द्वारा खरीदे गए 201 लाख टन गेहूं और 227 क्विंटल चावल की राशि 80 हजार करोड़ रुपये होगी। शेतकर मंडित के माध्यम से किसान द्वारा बिक्री की गई, बलों को कमीशन मिलता है और राज्य सरकारों को 6 प्रतिशत आय मिलती है। गाँव के मामले में भी यही स्थिति मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश चावल के मामले में बिहार तमिलनाडु आंध्र प्रदेश इस अधिनियम में बाजार समिति जारी रहेगी लेकिन न्यूनतम मूल्य पर किसानों से कृषि उपज खरीदने की नीति जारी रहेगी, यह नहीं कहा गया है कि सरकार किसानों की उपज बेचने की स्वतंत्रता जारी रखेगी इस बिल में कहीं भी कोई भी स्पष्ट रूप से निजी कंपनियों का उल्लेख करता है कि बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, शंकर शुरू में उच्च कीमत का भुगतान करेंगे, फिर बाजार समिति में आने के बाद, बड़ी कंपनियां किसानों की उपज खरीदना बंद कर देंगी जब तक कि वे इसे खरीदने में सक्षम न हों .इस वजह से किसानों को लगता है कि अपनी उपज को मालिकाना हक की आजादी से ज्यादा जरूरी सरकार को बेचना है. अब इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ प्राकृतिक आपदा, युद्ध की स्थिति में ही किया जाएगा. विधेयक तो यही कहता है, लेकिन इसका स्पष्ट अर्थ है कि निजी व्यापारियों पर अनिश्चित काल तक वस्तु का भंडारण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत □ श्वासन एवं कृषि सेवा अनुबंध अधिनियम 2020

यह अधिनियम अनुबंध खेती से संबंधित है। यह किसानों को उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के लिए अग्रिम अनुबंध करने का प्रावधान करता है। भारत में अब भी कुछ हद तक इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखने को मिलती है। लेकिन यह इसे वैध बनाने का प्रयास है. अपनी फसल के लिए थोक विक्रेताओं, प्रसंस्करण उद्योग या कंपनियों के साथ अनुबंध करें। उसके लिए कीमत भी निर्धारित की जा सकती है

- अनुबंध से 5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को लाभ होगा
- बाजार की अस्थिरता का बोझ किसानों पर पड़ेगा, उनके ठेकेदारों पर नहीं
- बिचौलियों को खत्म कर किसान पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं

• प्रतिबंधों में कमी से विदेशी निवेश और निजी निवेशकों का प्रवाह बढ़ेगा

• इससे कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। उपभोक्ताओं और किसानों दोनों को लाभ होता है

केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने इन बिलों के समर्थन में हिंदुस्तान टाइम्स में लिखे एक लेख में कहा, "निर्मला सीतारमण ने आवश्यक वस्तुओं में संशोधन करके कृषि क्षेत्र में लाइसेंस परमिट राज और इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की दिशा में कदम उठाया है।

किसानपुत्र आंदोलन के अमर हबीब ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, "कृषि वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ ही सीलिंग कानून भी रद्द किया जाना चाहिए. 1960 से पहले बिना बाजार समितियों के लेन-देन होता था. अब अगर किसानों के लिए ऐसा कोई विकल्प दोबारा उपलब्ध है तो यह अच्छी बात है।"

नई कृषि नीति के नुकसान

कृषि आय बाजार समिति अधिनियम किसानों के उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया था जब वे खुले बाजार में वस्तुओं को बेचते हैं। लेकिन कानून के कानून ने उन किसानों को नहीं रोका, जिन्होंने कानून की त्रुटि के कारण किसानों की फसल को नहीं रोका, और किसानों को किसानों को कीमतें देने का अधिकार पसंद नहीं था और इसलिए किसानों की कीमतों का हिस्सा था और इसलिए कृषि आय बाजार समिति, पसंदीदा ब्रोकर का एक अच्छा वित्तीय लाभ है।

सरकार का कहना है कि इन सुविधाओं को किसानों और उनके माल के लिए अच्छी कीमतें प्राप्त करने के लिए प्रदान की जा रही हैं ताकि वे अपने माल को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। लेकिन इस पर कुछ आपत्तियां हैं।

आवश्यक माल (संशोधन) बिल तीसरा है, जिसमें से विवाद है। सरकार ने इस सूची से कई कृषि उत्पादों को बाहर करने का फैसला किया है। इसके प्रावधान क्या हैं?

आवश्यक वस्तुओं की सूची से दालों, अनाज, तिलहन, प्याज, आलू को बाहर करें।

1970 के दशक के दौरान भारत की 'हरित क्रांति' (गेहूं क्रांति), जब भारत ने 1956 से 1966 तक हर दिन अमेरिका से एक लाख टन गेहूं आयात करके राशन प्रणाली पर काम

किया, कई अन्य सुविधाओं के अलावा, इंदिरा गांधी का एक बड़ा निर्णय था सरकार खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करेगी। बुआई से पहले फसलों की 'न्यूनतम गारंटीकृत कीमतों' की घोषणा करने की नीति, ताकि कीमतों में गिरावट के कारण किसानों को नुकसान न हो। इसके लिए कृषि अर्थशास्त्री प्रो. एम। एल दांतवाला की अध्यक्षता में 'कृषि मूल्य आयोग' की स्थापना की गई। उस समिति ने न्यूनतम गारंटीकृत कीमतों के मानदंड तय किये। इसमें कुछ और परिवर्तन हुए; लेकिन यदि बाजार मूल्य गारंटीकृत मूल्य से कम है, तो सरकार उतना ही खरीदने के लिए बाध्य है जितना किसान गारंटीकृत मूल्य पर बेचना चाहते हैं।

सरकार द्वारा गारंटीकृत कीमतों पर चावल और गेहूं खरीदने का एक अन्य कारण शहरी आबादी को इन अनाजों की आपूर्ति करने के लिए 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' संचालित करना है; साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। यदि किसी वर्ष खाद्यान्न की कमी हो और गंभीर स्थिति हो और कीमत बढ़ जाए तो खाद्यान्न का भंडार (बफर स्टॉक) रखने का काम भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किया जाता है।

इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार लाखों करोड़ रुपये का अनुदान देती है. पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसान प्रस्तावित विधेयकों का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनके सड़कों पर उतरने का एकमात्र कारण यह डर था कि सरकार 1965 से गारंटीकृत मूल्य नीति को रद्द कर देगी और देश में कहीं भी (एक देश, एक बाजार) अपनी उपज बेचने के नाम पर किसानों से उनकी उपज ले लेगी। उन्हें सांत्वना देने के लिए सरकार ने तुरंत रबी फसलों के लिए गारंटीकृत कीमतों की घोषणा की। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार इस नीति को जारी रखेगी. इसके कारणों को इस प्रकार बताया जा सकता है।

2019-20 में, सरकार ने अकेले दो राज्यों पंजाब और हरियाणा से क्रमशः 1925 रुपये और 1835 रुपये प्रति क्विंटल की गारंटीकृत कीमतों पर 201 लाख टन गेहूं और 227 लाख टन गेहूं और चावल की खरीद की। इसकी लागत करीब 80 हजार करोड़ रुपये थी. चूंकि ये सभी बिक्री किसानों के बाजार के माध्यम से की जाती है, इसलिए दलालों को 2.5 प्रतिशत कमीशन मिलता है और राज्य सरकारें कुल राशि पर 6 प्रतिशत उपकर अर्जित करती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में गेहूं और बिहार, आंध्र, तमिलनाडु में चावल के लिए भी यही स्थिति है। विधेयक में कहा गया है कि मंडी यानी कृषि उपज बाजार समितियां (एपीएमसी) जारी रहेंगी; लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि सरकार किसानों से गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य पर कृषि

उपज खरीदने की नीति जारी रखेगी। यदि विधेयक में कृषि उपज को गारंटीकृत मूल्य पर खरीदने का कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं है, तो गारंटीकृत मूल्य शून्य और शून्य हो जाता है किसानों को अपनी उपज कहीं भी और किसी को भी बेचने की आजादी। बिल में साफ तौर पर निजी कंपनियों का जिक्र है. इसमें कोई संदेह नहीं कि कल बड़ी निजी कंपनियाँ इस व्यवसाय में उतरेंगी। वे शुरू में अधिक कीमत की पेशकश कर सकते हैं और किसान उन्हें अपनी उपज बेचेंगे। इस बीच, बाजार समितियां समाप्त हो जाएंगी। फिर किसानों को उस कीमत पर बेचना होगा जो बड़ी कंपनियाँ देंगी क्योंकि वे ऐसा करने में असमर्थ हैं। यदि सरकार गारंटीशुदा कीमत पर खरीदारी नहीं करने जा रही है, तो कितनी निश्चित हैं कि बड़ी कंपनियां सीजन शुरू होने के बाद खरीदारी किए बिना कीमत गिरने तक इंतजार नहीं करेंगी? नहीं, वे रुक जायेंगे. किसानों को लगता है कि सरकार की ओर से 'खरीद की गारंटी' उनकी उपज बेचने की 'आजादी' से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल यह उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है.

सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म कर दिया है. विधेयक में कहा गया है कि इसे केवल युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं के समय ही लागू किया जाएगा; अत: निजी व्यापारी 'असीमित स्टॉक' रख सकते हैं। वे बाध्य नहीं होंगे. इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि सरकार को खाद्यान्न का बड़ा भंडार रखने की आवश्यकता नहीं है; इसलिए बड़ी खरीदारी करने की जरूरत नहीं है.

एपीएमसी के बाहर बिक्री के मामले में, राज्यों को 'बाजार शुल्क' नहीं मिलने के कारण नुकसान होगा।

- अगर बाजार समितियां खत्म कर दी गई तो बिचौलियों, बिचौलियों का क्या होगा?
- न्यूनतम आधार मूल्य प्रणाली ध्वस्त हो जायेगी
- ई-एनएएम जैसे ई-ट्रेडिंग तंत्र बाजारों पर निर्भर करते हैं। यदि वे विलुप्त हो गए तो बाज़ार कैसे कार्य करेंगे

निष्कर्ष

नये कृषि सुधार कानूनों का विरोध किया जा रहा है। इन तीन नए कानूनों का फोकस किसान, व्यापारी, दलाल, उपभोक्ता और ठेकेदार हैं। इस कानून से ये पांच कारक प्रभावित होंगे. इससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों पर असर शून्य या नाममात्र का होगा. अदाती

(दलाल) खुद को इस नई प्रणाली की खामियों के अनुरूप ढाल लेगा। ठेकेदार इस क्षेत्र में एक नया वर्ग है। इसलिए उन पर क्या असर होगा ये आज बताना संभव नहीं है. आखिरी कारक किसान है जो कानून के केंद्र में है. लेकिन वह इस कानून से अनभिज्ञ हैं. उन्हें खुद नहीं पता कि इस कानून से उन्हें कितना फायदा मिलेगा. इस कानून में यह स्पष्टता नहीं है कि किस आधार पर किसान अपनी सौदेबाजी की शक्ति बरकरार रखेगा, अंततः किसान दलालों के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे लेकिन किसानों को बाधाओं का हिस्सा कैसे मिलेगा और किसानों का अंतिम हित कैसे होगा किसान सुरक्षित रहे? यह नया कानून इसकी पूरी गारंटी नहीं देता.

संदर्भ:

कृषि - विकिपीडिया

मैक्स महाराष्ट्र | 1 दिसंबर 2020

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय10 जून 2021 पीआईबी मुंबई द्वा

OECD अन्न आणि कृषी पुनरावलोकने भारतातील कृषी धोरणे, OECD/ICRIER (2018),

कृषी धोरण: व्हिजन (2020), भारतीय कृषी संशोधन संस्था, नवी दिल्ली